संख्या-11/2018/142//78-1-2018-25/2012

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी, 2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 5.1.7 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2 "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या-5.1.7 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन में निम्नवत् व्यवस्था हैः-

- शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए,घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

3 उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

3.1 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन का विवरण

3.1.1 यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पेटेन्ट्स फाइलिंग करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।

3.1.2 पात्र इकाइयों को यह प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति के लिए यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, कार्यदायी संस्था होगी।

3.1.3 इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक वास्तविक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

3.1.4 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3.2 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

3.2.1 यह प्रोत्साहन पात्र इकाईयों को केस-टू-केस आधार पर परीक्षण उपरान्त प्रदान किया जायेगा। पात्र इकाई द्वारा पेटेन्ट्स हेतु सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने और उसके लिए पेटेन्ट् फाइलिंग जमा कर दिये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को सूचित किया जायेगा।

3.2.2 पेटेन्ट्स फाइलिंग/प्रांसीक्यूशन ऑफ पेटेन्ट एप्लीकेशन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाई द्वारा अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक हैं:-

3.2.2.1 पेटेन्ट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति

3.2.2.2 स्वच्छ सूचकों (labels) के साथ विशिष्टियों (specifications)/ विन्यास (drawings)/चित्र (designs)

3.2.2.3 ISO/ISI प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हो तो)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3.2.2.4 पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इन्वांयस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित)

3.2.2.5संयंत्र/उपकरणों/सांफ्टवेयर/अन्य उपयुक्त निवेश के प्रमाण-स्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र

3.2.2.6 आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक का शपथ-पत्र

3.2.2.7 आवेदक द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/छूट का अद्यतन विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित

3.3 प्रोत्साहन की स्वीकृति की प्रक्रिया

3.3.1 कार्यदायी संस्था द्वारा, इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

3.3.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/ विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

3.3.3 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को पेटेन्ट्स फाइलिंग प्रोत्साहन अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था की संस्तुति अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी।

3.3.4 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा और तद्विषयक उपयुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा।

3.4 **<u>प्रोत्साहन अवधि</u>**

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, अनुदान अनुमन्य होगा।

3.5 **<u>पात्र इकाई के दायित्व</u>**

पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो कार्यदायी संस्था के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

3.6 **<u>आच्छादन</u>**

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3.7 **<u>परिभाषायें</u>**

एतद्वारा संलग्न, परिशिष्ट-1 के अनुसार

3.8 **<u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>**

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

3.9 **<u>प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>**

आवेदक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

<u>संलग्नकः यथा उपरोक्त</u>

भवदीय,
(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सँख्या-11/2018/78-1-2018/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6 अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
7 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
8 अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
9 अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
11 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
12 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
13 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
14 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
15 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।